भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2222
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

नारी अदालत योजना

2222. **डॉ संबित पात्रा:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नारी अदालत नामक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नारी अदालत योजना की प्रायोगिक परियोजना के परिणामों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश के अष्ट लक्ष्मी क्षेत्रों अर्थात् ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में नारी अदालत परियोजना को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): नारी अदालत को 15वें वित्त आयोग की अवधि में मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के अंतर्गत प्रायोगिक पहल के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने जैसी सेवाएँ प्रदान करना है।

यह योजना मांग आधारित है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में असम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई। प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, 16 राज्यों अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र में प्रत्येक में 10 ग्राम पंचायतों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दादरा एवं नगर हवेली/दमन व दीव में प्रत्येक में 5 ग्राम पंचायतों को प्रायोगिक परियोजना के रूप में लागू करने की मंजूरी दी गई है। ओडिशा सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नारी अदालत 100 प्रतिशत केंद्रीय अंशदान वाली केंद्र प्रायोजित योजना है । इस घटक के अंतर्गत, बैठकों के आयोजन हेतु और नारी अदालत के सदस्यों के लिए बैज/वर्दी के लिए किए जाने वाले खर्च निधि का प्रावधान किया गया है।

मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक सचिवों के साथ समन्वय करके आयोजित नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजना की समीक्षा करता है, जिसमें वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकें भी शामिल हैं। इसके अलावा, एमडब्ल्यूसीडी अधिकारी विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं ताकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का आकलन किया जा सके, चुनौतियों की पहचान की जा सके एवं यदि संचालन या अनुपालन संबंधी कोई कमी है तो उसे दूर किया जा सके।

*****